सेवा में :-

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
न्याय आपके द्वार कैंप सीगोद ।

विषय :- न्यायालय मे विचाराधीन केश के सम्बंध में ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी लक्ष्मीनारायण S/o मांगीलाल निवासी बोरदा हमारे जमीन माल बोरदा मे मेरे पिता मॉगीलालजी माता गंगाबाई की मृत्यू हो चुकी है तथा मेरा भाई बसन्तीलाल S/o मॉगीलालजी व बहिन मोहनी बाई D/o मॉगीलालजी के हिस्से की जमीन विक्रय हो गयी है तथा अब हमारी जमीन भैरूलाल S/o मॉगीलाल व लक्ष्मीनारायण S/o मॉगीलाल के हिस्से की जमीन पर स्वंयम काबिज है यह निम्न आदमी आज दिनांक 7/6/2018 को कोई भी बेदखल नहीं कर रहे है।

1. मोतीलाल/हीरालाल माली
2. बृजगोपाल/देवीलाल सेन.
3. कहीलाल/ ~~[illegible]~~ पन्नालाल राठी
4. जमनालाल/ पन्नालाल राठी

अत: अब न्यायालय में चल रहा केश समाप्त कर दिया जावे मुझे कोई आपत्ती नहीं है ।

लक्ष्मीनारायण
7/6/2018.
प्रार्थी

लक्ष्मीनारायण S/o मॉगीलालजी
राठी ग्राम बोरदा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
[illegible]	— पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पूर्व [illegible] वास्ते वादी कि जिरह हेतु दि० [illegible] को पेश हो।	
16/2/18	— पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता परिषद द्वारा कार्य स्थगित रखने से पत्रावली दि० 4/5/18 को पेश हो।	
7/6/18	- पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2018, कोर्ट कैम्प ग्रा० पं० डीगोड में पेश हुई। वादी न. 3 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रति न. 5 गंगा बाई की मृत्यु हो चुकी है व प्रति न. 1 व 4 द्वारा अपने हिस्से की आराजी को बेच दिया है। हम प्रतिवादी न. 2 व 3 अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। यदि वाद को खारिज कर दिया जाता है तो हमे आपत्ति न होगी। अतः वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील तरमीम नक्शा से कम ही जमा दाखिल दफ्तर हो।	